अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. तुलसीराम पुत्र श्री झूंथा लाल सैनी
2. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री तुलसी राम सैनी

निवासी प्लाट नम्बर 260, हसनपुरा–सी, तेजाजी मन्दिर के पास, कमला नेहरू नगर, पुलिस थाना सदर, पश्चिम, जयपुर हाल निवासी स्व॰ श्री लादूराम सैनी केशव विद्यापीठ के पास, मालियों की ढाणी, सुमेल रोड, जिला जयपुर ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती खेलन्ता सैनी उर्फ निहारिका पत्नी श्री मनीष सैनी
2. मनीष सैनी पुत्र श्री तुलसीराम सैनी
3. सुनिल सैनी पुत्र श्री तुलसी राम सैनी

निवासी प्लाट नम्बर 260, हसनपुरा–सी, तेजाजी मन्दिर के पास, कमला नेहरू नगर, पुलिस थाना सदर, पश्चिम, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.02.2023 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण प्रकरण संख्या 123/2023 ब–उनवानी तुलसीराम सैनी बनाम श्रीमती खेलन्ता सैनी व अन्य

उपस्थित :–

1. अपीलार्थीगण मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थीगण मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 04.03.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 123/2023 ब–उनवानी तुलसीराम सैनी बनाम श्रीमती खेलन्ता सैनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थीगण स्वयं मय प्रतिनिधि के उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष धारा 5 व 23 माता पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 एवं नियम 4(1) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि पक्षकारान उपरोक्त पते पर निवास करते है तथा अपीलार्थीगण वरिष्ठ नागरिक एवं वयोवृद्व व्यक्ति है। प्रत्यर्थी संख्या 1 पुत्रवधु तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 पुत्र है। प्रत्यर्थी संख्या 1 शादी के पश्चात अपने सुसराल आते ही अपीलार्थीगण को हैरान व परेशान करने लग गई । अपीलार्थीगण को गालियां निकालती है, झूंठे मुकदमों में फंसाने एवं घर से बाहर निकालने की धमकी देती है। पुलिस थाना सदर को भी समय समय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही करने का निवेदन किया, परन्तु केवल समझाईश करके चले गये कोई ठोस कार्यवाही नही की गई। अपीलार्थी संख्या एक की माता श्रीमती धापा देवी का देहावसान दिनांक 17.12.2022 को हो गया । इसके अतिरिक्त अपीलार्थी संख्या 1 की बहिन मुन्नी देवी आयु 65 वर्ष व मुन्नी देवी का पुत्र नामोनारायण अपीलार्थीगण के साथ रहते है तथा तीनों अपीलार्थी संख्या 1 पर ही आश्रित है। मुन्नी देवी मन्दबुद्वी है। इन सभी को प्रत्यर्थी संख्या 1 घर से निकालने की धमकी देती है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के स्वामित्व के मकान में कमरों के ताला लगा रखा है। जिससे पीड़ित होकर अधीनस्थ अधिकरण से प्रर्थीगण को बेदखल करने, गाली गलौच व लडाई झगडा नही करने हेतु पाबन्द करने का अनुतोष चाहा गया था, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने भरण पोषण का नहीं मान कर सम्पत्ति से बेदखली का सिविल न्यायालय का मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । इन सब तथ्यों की जानकारी अधीनस्थ अधिकरण को होने के बावजूद भी अपीलार्थिया की सम्पत्ति को प्रत्यर्थीगण से अधिनियम की धारा 22 (2) के तहत सुरक्षित करने का आदेश पारित नहीं किया गया । माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा कई न्यायिक दृष्टान्तों मे प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी आदेश मैकेनिकल तरीके से नहीं किया जा सकता है। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देख कर किया जाना चाहिये । इसलिए भी अपीलार्थिया की यह अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण को मकान खाली करने का आदेश दिया जाना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2023 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीगण को भरण पोषण राशि दिलाने, अपीलार्थी संख्या 1 के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर 260, हसनपुरा–सी, तेजाजी मन्दिर के पास, जयपुर से प्रत्यर्थीगण को बेदखल कर खाली कराने एवं अपीलार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करने हेतु प्रत्यर्थीगण को पाबन्द करने के आदेश फरमावें ।

5. प्रत्यर्थीगण के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा गलत तथ्य अंकित किये गये है। प्रत्यर्थीगण द्वारा कभी पेरशान नहीं किया गया ना ही कभी गाली गलौच व मारपीट की गई । अपीलार्थीगण, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 से द्वेषता रखते है जिस कारण प्रार्थीगण ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यहां यह लिखना समीचीन है कि अपीलार्थी संख्या 1 राजकीय सेवा से सेवा निवृत्त व्यक्ति है तथा उसको सरकार की ओर से अच्छी पेंन्शन प्राप्त होती है। पर्याप्त आमदनी होने से उनके भूखे मरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अधीनस्थ अधिकरण ने भी इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश से प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अपीलार्थी संख्या 1 ने अपनी बहिन के माध्यम से एक दीवानी वाद दीवानी न्यायालय के समक्ष मिन उदत्तरदाता के विरूद्व मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया था

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा मिन उत्तरदाता को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है। ऐसे स्थिति में उक्त अपील पोषणीय नहीं होने से सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत कर तीन अनुतोष चाहे है प्रथम, प्रत्यर्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वह अपीलार्थीगण को प्रति माह भरण पोषण राशि अदा करे। अपीलार्थी संख्या एक सेवा निवृत्त राजकीय कर्मचारी है जिसे सरकार से पर्याप्त मात्रा में पेन्शन व चिकित्सा सुविधा मिली हुई है। इसलिए अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थीगण से भरण पोषण की राशि दिलाने का अनुतोष स्वीकार नहीं है। द्वितीय, विवादित सम्पत्ति मकान नम्बर 260, हसनपुरा–सी, तेजाजी मन्दिर के पास, जयपुर से प्रत्यर्थीगण को बेदखली करने का अनुतोष चाहा है। विवादित सम्पत्ति अपीलार्थी संख्या 01 तुलसीराम के स्वामित्व की है । माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) है जो इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। प्रत्यर्थीगण को उक्त सम्पत्ति से बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाना उचित है। तृतीय, प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थीगण के साथ मारपीट व गाली गलौच नहीं करने हेतु पाबन्द कराना चाहा है। अपीलार्थीगण का यह अनुताष स्वीकार योग्य है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2023 को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 को अपीलार्थी संख्या 1 के स्वामित्व की सम्पति मकान नम्बर 260, हसनपुरा–सी, तेजाजी मन्दिर के पास, जयपुर से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 को अपीलार्थी संख्या 1 व 2 से गाली गलौच व मारपीट नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है ।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner